

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii))

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th March, 1977

NOTIFICATION

S.O. 1010. - In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the Central Government under sub-section(2) of section 2 of the Dadra and Nagar Haveli (Civil Courts and Miscellaneous Provisions) Regulation, 1963 (8 of 1963).

[No. U-11030/2/77-UTL]

H.C. Bakhshi
(H.C. BAKHSI)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF I

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, NEW DELHI.

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड(iii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 1977.

अधिसूचना

का० आ० राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड(1) के अनुसरण में निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र, दादरा और नागर हवेली के प्रशासक राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय एवं प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1963 (1963 का 8) की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(सं० यू०-110 301 2177-यू० टी० एल०)

हरिश् चन्द्र बरबही

(हरिश् चन्द्र बरबही)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली।